सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

वाद संख्या : 17/2012

1. भंवर लाल
2. रामकुवांर
3. जानकी लाल
4. हेमराज
5. सुभाषचन्द्र

पुत्रान सीताराम जाति माली निवासीगण रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र छोटूलाल
2. बृजमोहन पुत्र रामगोपाल

जाति माली निवासीगण रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां

3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री बुद्धि प्रकाश
वकील प्रतिवादीगण : श्री हरीश राजावत
दायरा दिनांकः 06.02.2012

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायथल के माल में खाता संख्या नया 278 पुराना 246 खसरा नं0 275 रकबा 1.09 है0, खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 1218 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 1224 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 1313 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 1314 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 1370 रकबा 0.15 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 1.76 है0 स्थित है। उक्त आराजी में से खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 आराजी ही विवादित है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 आपस में पिता–पुत्र है, और वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 में बलपूर्वक पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। तथा पक्का निर्माण करने की नियत से प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने वादीगण की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 पर नींव खुदवाना प्रारम्भ कर दिया है। वादीगण के पास अब एक ही रास्ता शेष रहता है कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 के विरूद्ध इस सम्माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करें और प्रतिवादीगण ने जो पक्का निर्माण करने की नीयत से नींव खोद दी है। उस आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः निवेदन है कि एक स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावें कि प्रतिवादी कम 1 व 2 वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 वाके ग्राम रायथल तहसील मांगरोल में जबरन कब्जा न करें, एवं किसी प्रकार का पक्का निर्माण न करावें, ऐसां कार्य न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करावें। एक डिकी बेदखली की इस आशय की

की जावें कि प्रतिवादीगण को वादीगण की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 से बेदखल जाकर वादीगण को कब्जा संम्भलाया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.02.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.02.2012 को अधिवक्ता श्री हरीश राजावत ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। लेकिन जवाब दावा प्रस्तुत नही किया। पत्रावली विगत एक वर्ष से बहस अन्तिम अवसर में चल रही है। दिनांक 28.09.2018 को वकील प्रतिवादी को तीन बार आवाज लगाने के उपरान्त भी अनुपस्थित होने से प्रतिवादीगण को एक्स पार्टी किया जाकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण के संबंध में दिनांक 28.09.2018 को बहस सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में उन्ही तथ्यो का कथन किया गया जिनका उनके द्वारा अपने वादपत्र में अंकन किया गया है। वकील वादी द्वारा निवेदन किया कि वादीगण की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 आराजी में प्रतिवादी कम 1 व 2 बदनियति रखते है एवं जबरन दखलअंदाजी करते है, अतः स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी का अवलोकन किया गया ग्राम रायथल की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 के वादीगण खातेदार कृषक है, अतः मुताबिक वाद पत्र, शपथ पत्र वादी एवं सुनी गयी बहस की रोशनी में वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि वादीगण की खाते की आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 वाके माल ग्राम रायथल में वादीगण को शांतीपूर्वक काश्त करने देवे किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें। तहसीलदार मांगरोल को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1117 रकबा 0.08 है0 से प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा संभलाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुना